

राइजिंग राजस्थान और बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारें अधिकारी : वैभव गालरिया

जयपुर (कासं)। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये "राइजिंग राजस्थान" समित के तहत हुए एमओयू से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।



नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने गुरुवार को "राइजिंग राजस्थान" समित के एमओयू से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि "राइजिंग राजस्थान" के एमओयू को धरातल पर लाने के लिए सभी प्राधिकरण और न्याय अपने-अपने जिले के कलक्टर से समन्वय कर निवेशकों के साथ सम्पर्क स्थापित करें और भूमि के चिह्निकरण, भू-आवंटन आदि प्रकरणों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। गालरिया ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफ़ेस पोर्टल के नियमित उपयोग के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पोर्टल का उपयोग नियमित रूप से किया जाये साथ ही पोर्टल पर निवेशकों द्वारा भेजी जाने वाली मीटिंग रिक्वेस्ट्स का जवाब भी तुरंत देकर ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों के साथ बैठक की जाए। इसके अलावा माइलस्टोन मॉनिटरिंग संबंधित सूचना भी तय समय सीमा में उपलब्ध कराई जाये, जिससे कि कार्य प्रगति की समीक्षा व मूल्यांकन किया जा सके।

गालरिया ने कहा कि विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कहा। साथ ही इसमें आ रही समस्याओं के बारे में भी अफसरों से चर्चा की। उन्होंने

विक्रय योग्य भूमि को सूचिबद्ध किया जाए। प्राधिकरण एवं न्याय के स्वाभिमूल्य वाली भूमियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सतत रूप से इन भूमियों की निगरानी की जाए तथा अतिक्रमणों का चिह्निकरण

- 'निवेशकों से संवाद कर भूमि चिह्निकरण और भू-आवंटन की प्रक्रिया पूरी करें'
- विकास प्राधिकरण और न्याय के स्वाभिमूल्य वाली जमीनों से हटाए अतिक्रमण, सतत निगरानी भी रखें : प्रमुख शासन सचिव

कर उन्हें हटाने की तत्काल कार्रवाई की जाए। बैठक में आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा, जेडीए उप शासन सचिव द्वितीय राकेश कुमार गुप्ता, उप शासन सचिव तृतीय राकेश कुमार, मुख्य अभियंता यूडीएच अशोक चौधरी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विकास प्राधिकरणों व जिला विकास न्यायांश के अधिकारियों ने भी वीसी के जरिये बैठक में भाग लिया।

सी.एम. ने मंत्री-परिषद् के सदस्यों से सत्र की तैयारियों को लेकर की चर्चा



16 वीं विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर मंत्री-परिषद् के सदस्यों के साथ बैठक कर संवाद किया। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में प्रश्नों के प्रभावी जवाब प्रस्तुत करने, जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार की नीति-निर्णयों को मजबूती से रखने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही, बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी पहलुओं के विषय पर भी फ़ीडबैक लिया। उल्लेखनीय है कि 16 वीं विधानसभा का तृतीय सत्र (31 जनवरी) से शुरू होगा, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री ने मंत्री-परिषद् के सदस्यों के साथ संवाद किया।

धूमधाम से मनाया दिया कुमारी का जन्मदिन



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर किशन बाग बस्ती में भोजन वितरण किया गया।

जयपुर। प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का जन्मदिन गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया।

उपमुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिनमें दिया कुमारी को विद्याधर विधानसभा क्षेत्र, जयपुर और प्रदेश भर से हजारों की संख्या में आम जन और विशिष्ट जनों सहित विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनायें दीं। दिया कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए साथ ही किशन बाग बस्ती में भोजन वितरण भी किया गया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने जन्मदिन पर गुरुवार को मोतीझूरी गणेश जी और गोविन्द देवजी के दर्शन कर प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की।

मिलेट्स चिक्की न्यूट्री बार वितरण का शुभारम्भ किया। जिसमें कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फण्ड की राशि से स्व-वित्त पोषित पायलेट आधार पर लाभार्थियों को 20 ग्राम मात्रा में मल्टी मिलेट न्यूट्रीबार प्रति लाभार्थी सप्ताह

में तीन दिवस (सोमवार, बुधवार एवं गुरुवार) को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार प्रति लाभार्थी सप्ताह में तीन दिवस (मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार) को 30 ग्राम मात्रा में मिलकी मिलेट बार उपलब्ध कराया जाएगा।

आदिवासी राज्यों से आये युवा संविधान पार्क सहित जयपुर फुट देख अचंभित हुए



छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा से आए आदिवासी युवाओं ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का अवलोकन किया। युवा यहां जयपुर फुट पहनकर दौड़ने विकलांगों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। युवाओं ने अपने क्षेत्रों में विकलांग सेवा शिविरों की जरूरत बताई और संस्था के संस्थापक पद्म भूषण डी आर मेहता के साथ संवाद किया।

संयुक्त निदेशक को तत्काल पदस्थापित करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को रिटारण हो रहे चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक को बिना देरी के तत्काल पदस्थापित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के बावजूद भी याचिकाकर्ता को पदस्थापित नहीं करने पर प्रमुख कार्मिक सचिव और चिकित्सा निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनुरूप कुमार डंड के अदालत ने यह आदेश सुन्नीकार अहमद काजी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत में उपस्थित निदेशक पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता चिकित्सा विभाग, उदयपुर में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत था।

जयपुर। भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से गृह मंत्रालय के सौजन्य से यहां आयोजित 16 वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवें और छठे दिन तीन राज्यों के आदिवासी युवाओं ने महावीर विकलांग सहायता समिति, संविधान पार्क और शहीद दिवस सहित अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया।

भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा से आए आदिवासी युवाओं ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का अवलोकन किया। युवा यहां जयपुर फुट पहनकर दौड़ने विकलांगों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। युवाओं ने अपने क्षेत्रों में विकलांग सेवा शिविरों की जरूरत बताई और संस्था के संस्थापक पद्म भूषण डी आर मेहता के साथ संवाद किया। मेहता ने युवाओं को बताया कि पोलियो और पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को निशुल्क उपकरणों और चिकित्सा सुविधाएं आदि संस्था द्वारा रात पचास वर्षों से निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि समिति ने अब तक 800 जिलों में 23 लाख लोगों को लाभान्वित किया है और दुनिया के 44 देशों में विकलांगों को मदद की है। उपकरण पूरी तरह से निशुल्क दिए गए हैं। इसके अलावा, समिति ने 6 महीने पहले सुकमा में एक शिविर आयोजित किया था, जिसमें स्थानीय लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान की गई थीं। अब समिति छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों जैसे दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और छितरा में 5 और शिविर आयोजित करने जा रही है, ताकि वहां के लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। मेहता ने उन पांच युवाओं से बातचीत की जिनके पिता, चाचा, भाई को नक्सलियों ने मार दिया। उन्होंने आजीविका के लिए मदद करने का आश्वासन दिया। संविधान पार्क का अवलोकन आदिवासी युवाओं ने राजभवन स्थित संविधान पार्क का भी अवलोकन किया। जहां उन्होंने संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जाना। युवाओं ने पार्क में स्थापित विभिन्न कलाकृतियों और शिलालेखों के

माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण और उसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। विवेकानंद विश्वविद्यालय में आयोजित शहीद दिवस पर आदिवासी युवाओं और विद्यार्थियों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया और गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गांधीवादी विचारक सवाई सिंह ने युवाओं को गांधी जी के विचारों और आदर्शों के बारे में बताया। उन्होंने अपने वक्तव्य में गांधी जी के सादगी, अहिंसा, और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ भुवनेश जैन, क्षेत्रीय निदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन, पश्चिमी क्षेत्र, भारत सरकार ने की। उन्होंने गांधी जी के जीवन और दर्शन पर विचार व्यक्त किए। रामकेश मोणा, निरीक्षक, आर ए एफ ने भी अपने विचार रखे। विभिन्न कार्यक्रमों में क्षेत्रीय निदेशक डॉ भुवनेश जैन, राज्य निदेशक कुण्डलाल, जिला युवा अधिकारी कुमार मधुकर, मधु यादव और प्रदीप मोणा आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (शहीद दिवस) पर प्रातः शासन सचिवालय पहुंचे। शर्मा ने सचिवालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। शर्मा ने दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रतिमा के समक्ष बैठकर गांधीजी के प्रिय भजन "वैष्णव जन तो तेने कहिये, रघुपति राघव राजा राम, राम रतन धन पायो, श्री राम जय राम, तू ही है तो सहारा" सुने। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, राजस्व मंत्री हेमन्त मोणा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदार सहित अन्य मंत्री, मुख्य

महिला पार्षद ने किया पांच करोड़ रुपए का मानहानि का दावा

जयपुर। ग्रेटर नगर निगम के वार्ड संख्या 127 की बीजेपी पार्षद ने अवैध निर्माण से जुड़े विवादित वीडियो बनाए जाने के मामले में प्रतिवादी मोहन सेतिया व अन्य के खिलाफ पांच करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। एडीजे क्रम-8 महानगर प्रथम ने मामले में प्रारंभिक सुनवाई करते हुए प्रतिवादीयों को पाबंद किया है कि वह विवादित वीडियो का प्रसारण नहीं करें। अदालत ने यह आदेश पार्षद जयश्री गर्ग के मानहानि दावे पर दिए।

वादी के अधिवक्ता पंकज खन्ना ने अदालत को बताया कि 16 जुलाई 2024 को रात मोहन सेतिया नाम के व्यक्ति ने उसके मोबाइल नंबर पर एक यूट्यूब चैनल का वीडियो भेजा। इसमें बिना पूरी जानकारी के मकानों के वीडियो दिखाकर झूठे तथ्य पेश किए और इनमें से कुछ बिल्डिंग तो उनके वार्ड में ही नहीं थीं। इससे उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया।

ई-रिक्षे में महिलाओं के बैग में चोरी करने वाली गैंग गिरफ्तार

जयपुर। सिंधी कैम्प थाना पुलिस ने ई-रिक्षा में सवार महिला के बैग से जेवरत और नगदी चोरी करने वाली तीन गुजराती महिलाओं सहित ई-रिक्षा चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों से पृष्ठताह कर चोरी का माल बरामदगी के प्रयास करने में जुटी है। गिरफ्तार आरोपी महिला कोमल (25), नंदनी (30), ज्योति (30) मूलतः झोपड़ पट्टी साबरमती टूटी पुलिसिया के नीचे, अहमदाबाद गुजरात हाल किराएदार खो-नागोरियान तथा ई-रिक्षा

चालक सुशील कुमार (35) मूलतः पारीकों का मोहल्ला सीरसी हाल किराएदार शिवाजी नगर भट्टा बस्ती के रहने वाले है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पीडिता सुधा कंवर ने 26 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वह ट्रेन से अपने बच्चों के साथ भीलवाड़ा ससुराल से जयपुर आई थीं। जयपुर जंक्शन से वह आरोपी के ई-रिक्षे में चौड़ा रास्ता जाने के सवार हुई थी। इस

दौरान रास्ते में तीनों महिलाओं को भी ई-रिक्षे वाले ने मेरे मना करने के बावजूद बैदा लिया। तीनों महिलाएं सिंधी कैम्प थाली रेस्टोरेंट के पास ई-रिक्षे से उतर कर तेजी से चली गईं। शक होने के पर सामान संभाला तो उसके परस से सोने-चांदी के जेवरत और 10 हजार की नगदी नहीं मिली। इसके बाद पीडिता ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल टीम का गठन कर ई-रिक्षा चालक को उसकी तीनों गुजराती महिला साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया।

हाऊसिंग बोर्ड ने सहायक लेखाधिकारी नवीन और शेरसिंह को किया निलंबित

बताया जा रहा है कि प्रताप नगर स्थित आवासन मंडल के खंड पंचम कार्यालय को रात 10-11 बजे खोलने के मामले में दोनों अफसरों को सस्पेंड किया गया है, विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोपी कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रशांत गुप्ता के साथ-साथ दो सहायक लेखाधिकारी नवीन शर्मा और शेर सिंह को निलंबित किया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों सहायक लेखाधिकारियों ने मंगलवार देर रात करीब 10-11 बजे प्रताप नगर स्थित आवासन मंडल के खंड पंचम



राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के प्रताप नगर स्थित खंड पंचम कार्यालय में मंगलवार देर रात पहुंचे दोनों सहायक लेखाधिकारी और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की तस्वीर।

- इसके अलावा 1 लाख व. रिश्तव लेते ट्रैप हुए कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रशांत गुप्ता को भी निलंबित कर दिया गया है।

कार्यालय को खुलवाया था। इस प्रकरण की जांच मुख्य अभियंता प्रथम अमित अप्रवाल को दी गई है, साथ ही कार्यालय समयावधि के पश्चात सक्षम स्वीकृति के बिना ऑफिस नहीं खोले जाने के आदेश भी विभाग ने दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों अफसरों के साथ प्राइवेट व्यक्ति भी ऑफिस में दाखिल हुए थे, इनमें हाऊसिंग बोर्ड में सिक्यूरिटी एजेंसी की संभालने वाले बजरंग व अन्य लोग बताये जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने देर रात हाऊसिंग बोर्ड का कार्यालय खुला देखकर मोबाइल में फोटो-वीडियो उतार लिए। इसके बाद गुरुवार को सोशल मीडिया पर यह फोटो-वीडियो

वायरल हुए और उच्चाधिकारियों को इसकी भनक लगनी। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया और हाऊसिंग बोर्ड कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने उप आवासन आयुक्त भगवान सहाय से एवं अन्य अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। इसके बाद अफसरों ने पूरे मामले के जानकारी जुटाकर प्रकरण की वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद देर शाम हाऊसिंग बोर्ड कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने दोनों सहायक लेखाधिकारियों पर पकान लेते हुए दोनों को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश जारी कर

दिए। इन दोनों कार्मिकों को सस्पेंड करते हुए निलंबन काल के दौरान अपनी उपस्थिति उप आवासन आयुक्त वृत्त तृतीय के समक्ष देने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि बुधवार देर रात आवासन मंडल के खंड पंचम कार्यालय को खोले जाने के पीछे क्या मकसद था, इस बारे में अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट व्यक्ति बजरंग, जो कि हाऊसिंग बोर्ड में सिक्यूरिटी गार्ड उपलब्ध करवाने का काम करता है, वह भी साथ में था, हालांकि हाऊसिंग बोर्ड प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर, प्राइवेट गार्ड की एजेंसी रखने वाला व्यक्ति और दोनों लेखाधिकारी

रात के अंधेरे में क्या काम कर रहे थे। इसके अलावा आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपी कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रशांत गुप्ता के निलंबन के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आरोपी प्रशांत को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भरतपुर चौकी टीम ने बुधवार को एक लाख रुपये रिश्तव लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी प्रशांत, इंदिरा गांधी नगर स्क्रीम में परिवारी के पिता की मृत्यु के पश्चात आवास का स्थानांतरण करने और इसका मांग पत्र जारी करने की एबी.बी. इस मामले में उप सचिव अनिल पालीवाल की संदिग्ध भूमिका मानते हुए भी जांच कर रही है।